जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 12-10-2020**

20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 10-10 (कुल 20 लीटर) अवैघ कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 01- लक्ष्मण पुत्र रामसहाय निवासी ग्राम सुहरावन थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर 02- वंशराज पुत्र राम लखन निवासी जमुहट थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर क्रमशः मु0अ0सं0 288/2020 व 289/2020 धारा आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 08अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा विवाद को कराया गया शांत – पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत मुण्डेरवा शुक्ल गांव से इवेन्ट संख्या 07103 से कालर ने किसी व्यक्ति द्वारा पैसा छीनने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 08 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचा गया तो विवाद हो रहा था, विवाद के शांत कराकर प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना धनघटा को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुचकर प्रतिवादी को पकड़ लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।।

पीआरवी स्टाफ – आरक्षी अनिल यादव, आरक्षी चा0 राजीव सोनकर।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 58 वाहनो से 55500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 12-10-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 55 वाहनो से 55500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।